प्रेस नोट

दिनांक 31.05.2022

जनपद अम्बेडकरनगर थाना कटका द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए शराब माफिया राजेश कुमार जायसवाल उर्फ बिहारी की कुल 3 करोड़ रुपए की चल/अचल संपत्ति की गई कुर्क।

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा अवैध शराब माफिया राजेश कुमार जायसवाल उर्फ बिहारी पुत्र भोला प्रसाद निवासी कर्मयोगी नगर गोराबारिक थाना को0 नगर जनपद सुल्तानपुर मूल पता ग्राम लाल बेगिया थाना चिरेया जनपद मोतीहारी प्रान्त बिहार सम्बन्धित मु0अ0सं0 133/2021 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना जैतपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए लगभग 03 करोड़ रुपए की निम्नलिखित सम्पत्ति कुर्क की गयी। जिसका विवरण निम्नवत है।

01. अवैध शराब माफिया राजेश कुमार जायसवाल उर्फ बिहारी पुत्र भोला प्रसाद निवासी कर्मयोगी नगर गोराबारिक थाना को0 नगर जनपद सुल्तानपुर मूल पता ग्राम लाल बेगिया थाना चिरेया जनपद मोतीहारी प्रान्त बिहार द्वारा स्वयं व अपनी पत्नी आशा जायसवाल के नाम गाटा संख्या 1336 ग्राम कर्मयोगी नगर गोराबारिक थाना को0 नगर जनपद सुल्तानपुर पर क्रय की गई जमीन पर बना मकान दो मन्जिला भवन व उक्त भूमि ।

उपरोक्त समस्त सम्पत्ति का उपभोग अवैध शराब माफिया राजेश कुमार जायसवाल उर्फ बिहारी एवं उसके परिवार द्वारा किया जा रहा था जिसकी वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 03 करोड़ रुपये है।

नोटः- अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जो एक गैंग का गठन करके सुनियोजित तरीके से गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अपने तथा अपने परिवार के आर्थिक/भौतिक लाभ हेतु अवैध शराब का कारोबार करके अवैध धन अर्जित करता है। आपराधिक एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त है तथा अपराध जगत में सक्रिय है एवं अपने आपराधिक क्रियाकलाप करते हुए अपराधी कृत्यों से धन अर्जित कर उसके द्वारा उपरोक्त चल/अचल सम्पत्ति को प्राप्त किया गया है।